B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 2(d)
Topic – **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992)**
Modified National Policy of Education-1986(1992)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 92

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को जब देश में लागू किया गया तभी से इस योजना का राजनैतिक स्तर पर विरोध होने लगा। विभिन्न प्रांतों में जहाँ गैर-काँग्रेसी सरकारें थीं, नीति के प्रति अपनी आशंका व्यक्त की। गैर काँग्रेसी दलों ने इस नीति के विरोध में "अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ" समिति का गठन कर लिया। परिणामस्वरूप नीति विरोधी आनंदोलन काफी तेज हो गया। किन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी विरोध की चिंता ना करते हुए इसी नीति को अपनाया।

शीघ्र ही केन्द्र की सत्ता में परिवर्तन हुआ एवं **श्री वी० पी० सिंह** देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1986 की नीति का विरोध किया एवं इसकी समीक्षा के लिए **आचार्य राममूर्ति** के नेतृत्व में एक समिति गठित की। समिति अपना कार्य कर ही रही थी कि केन्द्र में पुनः राजनैतिक हलचल हुई एवं **श्री वी० पी० सिंह** को सत्ता गवाँनी पड़ी। **श्री चंद्रशेखर** देश के अगले प्रधानमंत्री बने, किन्तु समिति अपना कार्य करती रही एवं दिसंबर 1991 में अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट पर अभी चर्चा होनी शेष थी कि सन् 1992 काँग्रेस फिर सत्ता में आ गई एवं **श्री पी० वी० नरसिम्हा राव** देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार की इच्छा थी कि 1986 की शिक्षा नीति को ही क्रियान्वित किया जाए। किन्तु **अचार्य राममूर्ति** की रिपोर्ट सदन में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की जा चुकी थी।

इसको देखते हुए केन्द्र-सरकार ने आधुनिक भारतीय संदर्भ में 1986 की शिक्षा नीति पर पुनः विचार करने हेतु **श्री जनार्दन रेड्डी** के नेतृत्व में समिति का गठन किया। दोनो समितियों की रिपोर्ट के आधार पर 1992 में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में कुछ संशोधन किए। इसे ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 कहा जाता है।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992) की विशेषताएं

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1992 की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है -

1. **राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था** -

A) **शैक्षिक संरचना** - राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत यह जरूरी है सारे देश में एक ही शैक्षिक संरचना हो। 10+2+3 के ढाँचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढाँचे के पहले दस वर्षों का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्रारंभिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर, एवं उसके बाद 2 वर्ष की हाई स्कूल की शिक्षा अनिवार्य होगी। पूरे देश में +2 शिक्षा को स्कूल शिक्षा के रूप में स्वीकार किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

To be continued...